संख्या शिक्षा के० जी० आर० (जी-4)Misc.
कार्यालय उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)
कॉंगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक: धर्मशाला – 176215

Deputy Director of
School Education (Sec)
06 APR 2026
Dispatch No. 310
Kangra at Dharamshala

सेवा में

समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य निजी विद्यालय
CBSE /HPBOSE /ICSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त
जिला कांगडा

विषय- प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबें कापियों तथा स्कूल वर्दी बारे मनमानी रोकने बारे आग्रह।

ज्ञापन,

उक्त विषय के सन्दर्भ में उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कॉंगड़ा स्थित धर्मशाला के संज्ञान में आया है कि निजी स्कूलों द्वारा छात्रों तथा अभिभावकों को चिन्हित दुकानों से किताबें कापियों तथा स्कूल वर्दी आदि खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जोकि सरकारी निर्देशों के विरुद्ध है।

उक्त विषय के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्याः शिक्षा के० जी० आर० (जी-4)Misc. - 20072-73 दिनांक 18 Feb, 2026 की निरन्तरता में दुबारा आपको निर्देश दिये जाते है कि :-

1. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियमन (अधिनियम) 1997 में निहित प्रावधानों के अनुसार छात्रों से ली जाने वाली फीस शोषण करने वाली न हो। इसलिए समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों / प्रधानाचार्यों / मुख्याध्यापकों को शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) के माध्यम से प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व समस्त अभिभावको को आमन्त्रित कर पाठशाला में सामान्य सभा (General House) का आयोजन करने तथा सामान्य सभा में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस व फण्ड के बारे विचार विमर्श करने के उपरान्त सामान्य सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस व फण्ड का पूर्ण विवरण (Break-up) सहित कक्षा बार पुस्तकों की सूची अभिभावकों की सूविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करें।

2. किसी भी स्कूल द्वारा छात्रों को स्कूल के प्रतिक चिन्ह (Logo) वाली किताबें / कापियाँ लेने के लिए बाध्य न किया जाये।

3. समस्त निजी स्कूल प्रबन्धक किसी भी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियाँ, बर्दी व जूते आदि खरीदने पर बाध्य न करे।

4 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 8789/2014 & CWP No. 8781/2024-titled as Business Institute of Management Sciences Vs of State of IHP and others के सन्दर्भ में दिनांक 27.04.2016 को जारी निर्देशानुसार पाठशाला प्रबन्धन द्वारा छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अवसंरचना निधि (Building fund, Development fund & infrastructure fund) न बसुली जाये।

उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप उक्त निर्देशो की अनुपालना करे। उपरौक्त निर्देशों का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व अधिनियम 1997 तथा नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)
कॉंगड़ा स्थित धर्मशाला